परिशिष्ट

परिशिष्ट-1
(संदर्भ पैरा 1.5)
कानूनी ढाँचा

प्रासंगिक धाराएं/ आयकर अधिनियम के नियम/मनोरंजन उद्योग को शासित करने वाले नियम

धारा/नियम	विषय वस्तु
नियम 6एफ के साथ पठित धारा 44एए(3)	फिल्मी कलाकारों द्वारा लेखा बहियों का अनुरक्षण।
धारा 44एबी	चार्टर्ड अकाउंटेट द्वारा सत्यापित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण।
नियम 18बीडी[62] के साथ पठित धारा 80 (आईबी) (7ए)	प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले लगातार 5 वर्षों की अवधि के लिए मल्टीप्लेक्स थियेटर के लिए कटौती।
नियम 29ए[63] के साथ पठित धारा 80 आरआर	भारत में निवासी होते हुए लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार और अभिनेता के मामले में विदेशी स्रोतों से पेशेवर आय के संबंध में आय की कटौती।
धारा 194सी	निर्माण अनुबंधों के अनुपालन में किसी कार्य के लिए किसी निवासी को किसी राशि के भुगतान के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) है। स्पष्टीकरण III के अनुसार 'निर्माण' में क) विज्ञापन ख) ऐसे संचार एवं प्रसारण आदि के कार्यक्रम के प्रोडक्शन सहित संचार और प्रसारण शामिल होंगे।
धारा 194जे	पेशेवर सेवाओं अथवा तकनीकी की सेवाओं और रायल्टी भुगतान के लिए शुल्क के माध्यम द्वारा भुगतान के संबंध में टीडीएस। रायल्टी बिक्री, वितरण और छांयाकन फिल्मों की प्रदर्शनी पर विचार शामिल नहीं करता है।
नियम 121ए के साथ पठित धारा 285बी	प्रोड्यूसर किसी विशेष फिल्म के संबंध में फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा ₹ 50,000 से अधिक के सभी भुगतान के विशेष समाहित व्यय (अर्थात प्रपत्र 52ए) के विवरणों का प्रस्तुतीकरण
धारा 272ए	निर्धारित समय के भीतर प्रपत्र 52ए को न भरने पर शाश्ति
नियम 9ए और नियम 9बी	क्रमश: फीचर फिल्म के प्रोडक्शन की लागत और फीचर फिल्म के वितरण अधिकारों के अधिग्रहण की लागत पर कटौती।

62 1.4.2002 और 31.3.2005 के बीच पूर्णता/अधिभोग प्रमाण पत्र होने पर कटौती उपलब्ध है।

63 नि. वर्ष 2005-06 से प्रभावी कोई कटौती उपलब्ध नहीं है।

सीबीडीटी के परिपत्र

परिपत्र सं. और दिनांक	विषय
675 दिनांक 03-01-1994	सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि एक कथानक लेखक को ''नाटककार'' के रूप में माना जा सकता है और उसी प्रकार अधिनियम की धारा 80आरआर के प्रयोजनों के लिए 'निदेशक' के 'कलाकार' माना जा सकता है। तथापि, कोई निर्माता अधिनियम की धारा 80आरआर के अन्तर्गत कटौती का हकदार नहीं होगा, क्योंकि वह कथित धारा में उल्लिखित किसी श्रेणी में नहीं आता है।
715 दिनांक 08-08-1995	सीबीडीटी ने वित्त अधिनियम 1995 के माध्यम से किये गये परिवर्तनों के संबंध में स्रोत पर कर कटौती से संबंधित विभिन्न प्रावधानों पर स्पस्टीकरण दिया है। विज्ञापन ऐजेन्सी, विज्ञापन पट अनुबंध, आदि इस परिपत्र के अन्तर्गत शामिल है।
742 दिनांक 02-05-1996	सीबीडीटी ने यह स्पष्ट किया है कि विदेशी प्रसारण कंपनी (एफटीसी) के मामले में आय, जिनके पास भारत में कोई शाखा कार्यालय अथवा स्थाई प्रतिष्ठान नहीं है अथवा देश-वार खातों को नहीं बनाया है, विदेश में प्रेषण के लिए सकल रशीदों या ऐसी कंपनियों द्वारा लौटाई गई आय के 10 प्रतिशत की अनुमानित लाभ दर को अपनाने के द्वारा संगणना की जाएगी, जो भी अधिक हो और निर्धारित दर पर समान हो, अर्थात वर्तमान में 55 प्रतिशत।
2001 का 06 दिनांक 05-03-2001	सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि अनुमानित आधार पर अब तक संगणित विज्ञापनों से एफटीसी की आय निर्धारण वर्ष 2002-03 और बाद के निर्धारण वर्षों के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 के अन्य प्रावधानों के अनुसार मानी जाएगी। भारतीय परिचालनों के लिए खाते उपलब्ध न होने के मामले में आयकर नियमों 1962 के नियमों के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। जहाँ कोई एफटीसी किसी देश का निवासी है। जिसके पास दोहरा कराधान परिहार समझौता (डीटीएए) है, उसकी व्यवसायिक आय पर केवल (विज्ञापनों से प्राप्त सहित) भारत में स्थाई स्थापना होने पर ही कर लगाया जा सकता है। एफटीसी का कराधान जो किसी देश के निवासी है जिनका भारत के साथ कोई डीटीएए नहीं है, आयकर अधिनिमय 1961 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाएगा। यह फिर से कहा गया है कि परिपत्र संख्या 742 और 765 में एफटीसी के लाभों की संगणना के लिए दिशानिर्देश, विज्ञापनों से आय के स्रोत पर लागू होते थे। अन्य प्रकार की आय जैसे भुगतान चैनल के संबंध में केवल आपरेटरों से प्राप्त अभिदान

	शुल्क और बिक्री अथवा डिकोडर के पट्टे आदि से आय, उपरोक्त 2 पैराग्राफों के अनुसार कर लगाना जारी रहेगा।
2002 का 05 दिनांक 30-07-2002	सीबीडीटी ने आगे वित्त अधिनियम 1995 के माध्यम से प्रस्तुत किए गये परिवर्तनों के संबंध में स्रोत पर कर कटौती से संबंधित विभिन्न प्रावधानों पर स्पष्टीकरण दिया है। विज्ञापन संस्था, विज्ञापन पट अनुबंध, आदि इस परिपत्र के अन्तर्गत शामिल है।
2016 का 04 दिनांक 29-02-2016	सीबीडीटी ने स्पष्ट किया हे कि विषयवस्तु निर्माण के लिए अनुबंध पर टीडीएस के प्रासंगिक प्रावधान को लागू करते समय, (i) विषयवस्तु के निर्माण के लिए भुगतान/प्रासारणकर्ता/ टेलीकास्टर के विनिर्देशों के अनुसार कार्यक्रम और (ii) निर्माण हाऊस द्वारा पहले से ही प्रसारित विषय वस्तु के टेलीकास्टिंग अधिकारों की माँग के लिए भुगतान के मध्य अन्तर किया जाना आवश्यक है। पहली शर्त धारा 194 सी के प्रावधान के अन्तर्गत शामिल की जाएगी जबकि दूसरी भुगतान अधिनियम के अध्याय XVIIबी के अन्य टीडीएस प्रावधानों की प्रकृति के अर्न्तगत आएगा।
2016 का 05 दिनांक 29-02-2016	सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि कोई टीडीएस विज्ञापनों हेतु बुकिंग अथवा खरीद अथवा प्रचार के लिए विज्ञापन ऐजेन्सी को टेलीविजन चैनल/समाचार पत्र कंपनियों द्वारा किए गये भुगतान पर आकृष्ट नहीं किया है। इसके अलावा, 'आयोग' दिनाँक 8.8.1995 की परिपत्र संख्या 715 के प्रश्न संख्या 27 से संदर्भित विज्ञापनों की बुकिंग के लिए विज्ञापन एजेन्सियों को मिडिया कंपनियों द्वारा भुगतानों को सन्र्दभ नहीं करता है। लेकिन माडलों, कलाकारों, फोटोग्राफर, खिलाडियों आदि को भुगतान करता है और इसलिए यह टीडीएस के मुद्दे से संबंधित नहीं है।

प्रासंगिक न्यायिक निर्णय:

मामले का विवरण	निर्णय का उद्धरण	सार
फिरोज नाडियाडवाला बनाम अतिरिक्त सीआईटी-11(1), मुम्बई	आईटीए सं. 7977/मुम/2011 (आईटीएटी मुम्बई बेंच 'एफ')	यह माना गया था कि कोई फिल्म जो वर्ष के दौरान प्रदर्शित नहीं हुई थी के निर्माण के लिए विशेष रूप से लिए गये ऋण पर ब्याज स्वीकार्य नहीं था, और नियम 9ए के अनुसार निर्माण की लागत के रूप में आगामी वर्ष में अग्रेनीत किया जाना चाहिए।
सागर सरधादी बनाम आईटीओ, वार्ड 11(1)(4), मुम्बई	आईटीए संख्या 5525/मुम/2010 आईटीए मुम्बई बेन्च 'ई'	यह माना गया था कि फिल्म के निर्माण की लागत कटौती के रूप में केवल तथी अनुमत की जा सकती है जब नियम 9ए के अन्तर्गत विशिष्ट शर्तें पूरी हो और ऐसी

		कटौती फिल्म के मुल्य को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि अपनाने के द्वारा अनुमत नहीं की जा सकते।
मलयाल मनोरमा कॉ. लि. बनाम एसीआईटी सर्किल - 1, कोट्टायम	2010 की आईटीए सं. 429 एवं 481	यह माना गया था कि एफएम रेडियों प्रसारण सेवाएं आरंभ करने के लिए खरीदे गये उपकरण सुसंगत वित्त वर्ष के अन्त तक उपयोग नहीं किये जा सकेगें क्योंकि मंत्रालय से लाईसेंस प्राप्त नहीं किया जा सका इसलिए उन पर मूल्यह्रास अनुमत नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, जहां निर्धारिती फिल्मों से वर्ष को दौरान कोई आय उत्पन्न नहीं कर सका जिनके संबंध में इसने टेलीविजन अधिकार प्राप्त किये वहां उनकी खरीद की लागत की कटौती अनुमत नहीं की जा सकेगी।
डीसीआईटी, सेन्ट्रल सर्किल-24, मुम्बई बनाम सलमान खान	आईटीए सं. 2836 एवं 2837/मुम/ 2008	यह माना गया था कि यहां निर्धारिती के खिलाफ कुछ व्यक्तिगत शिकायते दायर की गई थी। जिसने अपने व्यवासायिक कार्यकलाप से कुछ प्राप्त नहीं किया था। वहां उन आरोपों के प्रति बचाव करने में किया गया खर्च निश्चित रूप से व्यक्तिगत प्रकृति का था और ऐसा व्यय कारोबार एवं वृति से आय के प्रति अनुमत नहीं किया जा सकेगा।
जालन डिस्ट्रीब्यूर्टस (पी) लि. बनाम सीआईटी कोलकाता	भारत का उच्चतम न्यायालय (2016)	न्यायधिकरण ने धारा 36(i)(iii) के अन्तर्गत ब्याज व्यय के निर्धारिती के दावे को स्वीकृत किया है जहां इसने किराए पर कारोबार परिसर लेने के लिए भूस्वामी को दिये गये बयाना के प्रति भुगतान किया था तथापि निर्धारिती यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका कि कथित परिसर अपने करोबार परिसर के लिए उपयोग किया गया था। उच्च न्यालय ने न्यायाधिकरण के आदेश का सर्मथन किया और इसके प्रति दायर एसएलपी को भारत के उच्चतम न्यालय द्वारा खारिज किया गया था।
सलीम अख्तर बनाम एसीआईटी-11(1), मुम्बई	आईटीए सं. 907/मुम/2012; आईटीएटी मुम्बई बेंच 'ई'	यह माना गया था कि जहाँ निर्धारिती ने निम्नतम गारंटी आधार पर काफी अधिक मूल्य पर सहयोगी प्रतिष्ठान से फिल्म का वितरण अधिकार खरीदा है। कमीशन आधार

		पर फिल्म के प्रदर्शन के लिए उच्च सहयोगी प्रतिष्ठान के साथ अनुबंध करता है। वहां राजस्व अधिकारियों के साथ वैध आधार था कि प्रश्नगत लेने-देन की विधि थी और इस प्रकार हानि अन्य फिल्म के प्रोडक्सन से अर्जित निर्धारिती की कर योग्य आय कम करने के उद्देश्य से स्व प्रेरित थी और इसलिए हानि के समंजन का गलत दावा करने के लिए पारित शस्ति आदेश वैध था।
विशेष एंटरटेनमेंट लि. बनाम एसीआईटी, सर्किल - 11(1), मुम्बई	आईटीए सं. 305/मुम/2009 आईटीएटी, मुम्बई बेंच 'एफ'	न्यायधिकरण ने माना कि व्यक्ति जो प्रमुख शेयर धारक का पुत्र था अपने कारोबार के लाभ के लिए विदेश प्रक्षीशण के लिए भेजने का अपने दावे को सिद्ध करने में निर्धारिती विफल हुआ और प्रशिक्षण पर किया गया व्यय अधिकारियों द्वारा उचित प्रकार अस्वीकृत किया गया था।
एसीआईटी बनाम सेवन आर्ट फिल्म्स	आईटीए सं. 1291/एमडीएस/2013। आईटीएटी चेन्नई खंडपीठ	यह माना गया कि निर्धारिती**,** एक फिल्म निर्माता, की जिन फिल्मों ने थियेटरों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया उसके जिसके परिणामस्वरूप उसने प्रदर्शकों की क्षतिपूर्ति की, ऐसा भुगतान जो किसी कानूनी बाध्यता के बिना केवल निर्धारिती की साख बचाने के लिए किया गया हो, पूंजीगत व्यय के रूप में उपचारित किया जाऐगा।
डीसीआईटी-8(3)(1), मुम्बई बनाम युनाइटेड होम एंटरटेनमेंट (प्रा.) लि.	आईटीए सं 1977/मुम्बई/2015 आईटीएटी मुम्बई पीठ 'एफ'	यह माना गया कि जहाँ कार्यक्रम (परिसंपत्ति) डबिंग लागत के बिना, राजस्व अर्जित करने के लिये प्रयोग नहीं किये जा सकते, वहाँ सभी किये गये व्यय पूंजीगत व्यय में शामिल होंगे तथा लाईसेंस के अंतर्गत अभिग्रहण लागत के भाग का निर्माण करेंगे तथा लाईसेंस की लागत के साथ परिशोधित किऐ जाने चाहिए।

परिशिष्ट-2
(संदर्भ पैरा 1.6)
नमूना आकार

राज्य का नाम	चयनित पीसीआईटी/ सीएसआईटी की संख्या	निर्धारण इकाइयों की कुल संख्या	चयनित इकाइयां
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	12	123	30
बिहार	3	81	24
छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
दिल्ली	19	365	94
गुजरात	15	289	42
हरियाणा	6	116	23
हिमाचल प्रदेश	1	21	3
जम्मू और कश्मीर	1	18	3
झारखंड	3	81	13
कर्नाटक और गोवा	12	194	73
केरल	6	131	36
मध्य प्रदेश	3	47	47
महाराष्ट्र	23	282	88
उत्तर पूर्व क्षेत्र	3	22	14
ओड़िशा	5	54	14
पंजाब	11	236	29
राजस्थान	9	98	29
तमिलनाडु	18	284	80
उत्तर प्रदेश	11	328	43
उत्तराखंड	1	48	21
पश्चिम बंगाल	14	150	60
कुल	**176**	**2,968**	**766**

चयन का आधार : डीजीआईटी (सिस्टम) द्वारा एओ प्रभार के संबंध में कुल डाटा प्रदान किया गया था। सौ फीसदी कौरपोरेट सर्कल, न्यूनतम 25 फीसदी सेंट्रल सर्कल/गैर-कॉरपोरेट सर्कल/मिश्रित सर्कल और न्यूनतम पाँच फीसदी वार्डों को औडिट[64] के लिए चुना गया। समर्पित फिल्म सर्कल/वार्ड[65] को औडिट के लिए अनिवार्य रूप से चुना गया था। सभी जांच, अपील और सुधार के मामलों को वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए चयनित इकाइयों से औडिट किया गया था।

64 महाराष्ट्र में चयन का पैरामीटर था - न्यनतम 50 फीसदी कौर्पोरट सर्कल, न्यूनतम 25 फीसदी सेंट्रल सर्कल, न्यूनतम 10 फीसदी गैर कौर्पोरट /मिश्रित सर्कल और न्यूनतम 5 फीसदी वार्ड

65 महाराष्ट्र के लिए न्यूनतम 50 फीसदी फिल्म वार्डों

परिशिष्ट-3
(संदर्भ पैरा 1.7)
अभिलेखों का गैर प्रस्तुतिकरण

राज्य	पीसीआईटी/सीआईटी प्रभार	पहचाने गए और अपेक्षित मांगपत्र मामलों की संख्या	प्रस्तुत मामलों की संख्या	प्रस्तुत नहीं किए गऐ मामलों की संख्या का नहीं
कर्नाटक	पीसीआईटी-1, बैंगलुरू	46	34	12
	पीसीआईटी-2, बैंगलुरू	167	151	16
	पीसीआईटी-3, बैंगलुरू	17	14	3
	पीसीआईटी-4, बैंगलुरू	33	28	5
	पीसीआईटी-5, बैंगलुरू	32	30	2
	पीसीआईटी-7, बैंगलुरू	17	13	4
हरियाणा	पीसीआईटी, गुड़गांव	46	45	1
तमिलनाडु	पीसीआईटी-10, चेन्नई	855	760	95
केरल	पीसीआईटी-1, कोच्चि	47	46	1
	पीसीआईटी, कोट्टायम	57	56	1
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	पीसीआईटी/सीआईटी-6, हैदराबाद	282	270	12
ओड़िशा	पीसीआईटी-1, भुवनेश्वर	40	39	1
उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड	पीसीआईटी-2, लखनऊ	43	41	2
महाराष्ट्र	पीसीआईटी (सी)-2, मुम्बई	132	128	4
	पीसीआईटी-13, मुम्बई	64	61	3
	पीसीआईटी-14, मुम्बई	76	74	2
	पीसीआईटी-16, मुम्बई	1,904	1,901	3
	पीसीआईटी-3, मुम्बई	27	24	3
	पीसीआईटी-7, मुम्बई	91	88	3
पश्चिम बंगाल	पीसीआईटी-2, कोलकाता	13	12	1
	पीसीआईटी-11, कोलकाता	16	15	1
कुल		**4,005**	**3,830**	**175**

परिशिष्ट-4

(संदर्भ पैरा 3.8)

डीजीआईटी (प्रणाली) और निर्धारण प्रभार डाटा द्वारा प्रदान किए गए डाटा में बेमेल

डीसीआईटी		वि.व. 2013-14	वि.व. 2014-15	वि.व. 2015-16	वि.व. 2016-17
सर्कल 14(1), हैदराबाद	डीजीआईटी प्रणाली के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	0	43	51	44
	डी एंड सीआर रजिस्टर के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	0	53	76	69
	मामलों की संख्या में भिन्नता	**0**	**10**	**25**	**25**
वार्ड 14(5), हैदराबाद	डीजीआईटी प्रणाली के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	0	34	50	34
	डी एंड सीआर रजिस्टर के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	0	80	66	56
	मामलों की संख्या में भिन्नता	**0**	**46**	**16**	**22**
सर्कल 2(3)(1), बेंगलुरू	डीजीआईटी प्रणाली के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	10	8	15	20
	डी एंड सीआर रजिस्टर के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	12	11	30	28
	मामलों की संख्या में भिन्नता	**2**	**3**	**15**	**8**

	डीजीआईटी प्रणाली के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	5	13	14	15
	डी एंड सीआर रजिस्टर के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	4	17	19	24
वार्ड 2(3)(5), बेंगलुरू	**मामलों की संख्या में भिन्नता**	**-1**	**4**	**5**	**9**
	डीजीआईटी प्रणाली के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	162	231	275	282
	डी एंड सीआर रजिस्टर के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	293	238	416	376
सर्कल 16(1), मुम्बई	**मामलों की संख्या में भिन्नता**	**131**	**7**	**141**	**94**
	डीजीआईटी प्रणाली के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	96	93	111	98
	डी एंड सीआर रजिस्टर के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	152	212	187	131
सर्कल 20(1), चेन्नई	**मामलों की संख्या में भिन्नता**	**56**	**119**	**76**	**33**
	डीजीआईटी प्रणाली के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	22	24	22	33
	डी एंड सीआर रजिस्टर के अनुसार मनोरंजन क्षेत्र के संवीक्षा निर्धारण की संख्या	37	45	31	60
वार्ड 20(5), चेन्नई	**मामलों की संख्या में भिन्नता**	**15**	**21**	**9**	**27**